57

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्र0- पुनरीक्षण R 3554-III/13 सन्

1. श्रीमती विमला देवी पत्नि श्री श्वागलाल चौरसिया
   उम्र लगभग 55 वर्ष निवासी गढीमलहरा तहसील
   व जिला छतरपुर (म0 प्र0) हाल निवासी M.I.G. 162
   जैन मन्दिर के सामने गौर नगर मकरोनिया सागर म0 प्र0।
2. श्रीमती सवीना वानो पत्नि श्री अफरोज रंगरेज उम्र 35
   वर्ष निवसी वार्ड नं0 6 गांधी चौक बजार छतरपुर म0 प्र0। -आवेदकगण

वनाम

1. वाला प्रसाद पुत्र रामचरन चौरसिया उम्र 78 वर्ष
   निवासी गढीमलहरा तह0 व जिला छतरपुर म0 प्र0।
2. म0 प्र0 शासन द्वारा जिलाध्यक्ष महोदय छतरपुर। - अनावेदकगण

पुनरीक्षण विरूद्ध आदेश दिनांक 22.7.13 न्यायालय अपर कलेक्टर छतरपुर मध्य प्रदेश प्र0 क्र0 63/निग0/अ-12/11-12 श्रीमती विमला वगै0 वनाम वालाप्रसाद वगै0

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा-50 मध्य प्रदेश भु राजस्व संहिता

3260 महोदय,

आवेदकगण सादर निम्न लिखित विनय करते है-

1. यह कि भूमि ख0 नं0 219 मे से 0.016 आरे स्थित मौजा छतरपुर तह0 व जिला छतरपुर आवेदिका क्र0 1 ने जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 09.04.85 को क्रय की थी तदनुसार उक्त भूमि आलोच्य आदेश दिनांक 16.10.08 के समय आवेदिका क्र0 1 के नाम भूमि स्वामी स्वत्व पर दर्ज थी जिसमें से आवेदिका क्र0 1 ने अपनी उक्त भूमि का उत्तरी भाग 50 वाई 20 फुट जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र आवेदिका क्र0 2 समीना वानो पत्नि अफरोज रंगरेज को दिनांक 25.01.11 को विक्रय किया है शेष 50 वाई 15 वर्गफुट भूमि आवेदिका क्र0 1 के स्वत्व व अधिपत्य की है तदनुसार राजस्व अभिलेख में उक्त भूमि आवेदिकागण के नाम स्वत्व व अधिपत्य धारी के रूप में दर्ज है तथा उत्तरवादी क्र0 1 वाला प्रसाद ने भूमि ख0 न0 219 मे से 0.30 आरे भूमि जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 03.06.82 को हरिश्चन्द्र चौरसिया वगै0 से क्रय की थी इस प्रकार आवेदिका विमला एवं अनावेदक वाला प्रसाद के विक्रय पत्र के साथ संलग्न नक्शों का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि आवेदिका क्र0 1 एवं अनावेदक क्र0 1 के प्लाट एवं एक दूसरे की सरहदी से लगे हुए है।

-2-

राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3554–तीन / 13 जिला– छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
2.03.16	आवेदक अधिवक्ता एवं आवेदक को समय समय पर आवाज लगवाई गई । कोई उपस्थित नहीं । अतः वह लगभग 15 पेशियों से अनुपस्थित होने के कारण तथा प्रकरण में रूचि नहीं होने के कारण प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। सदस्य	